

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :- सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 47 / 2025

1. नारायण राम पुत्र श्री बस्तीराम जाति नायक निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर
जिला श्री गंगानगर राज. | जीसीएमएस : 2025 / 420

बनाम

:-प्रार्थी

1. अमीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति नायक साकिन 10 एम. के. तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. |
2. देवी लाल पुत्र श्री श्री पृथ्वीराज जाति नायक साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. |
3. कमला देवी पत्नि श्री सहीराम जाति कुम्हार निवासी 10 एम. के. तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. |
4. विजयकुमार पुत्र श्री सहीराम जाति कुम्हार निवासी 10 एम. के. तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. |
5. हनुमान प्रसार पुत्र श्री सहीराम जाति कुम्हार निवासी 10 एम. के. तहसील रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर राज. |

:-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:-

1. श्री अनिल कडवासरा. प्रार्थी अधि. |
2. श्री अमित बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—निर्णय—

दिनांक 22.12.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नारायण राम पुत्र श्री बस्तीराम निवासी मुकलावा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके नाम से वाके चक 9 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के खाता नं. 56/49 पं.नं. 154/293 मु.न. 73 के किला नंबर 1/1 की 0.228 है0, 1/2 की 0.025 है0 खाला, 2/1 की 0.058 है0, 2/3 की 0.0050 है0, 9/1 की 0.063 है0, 10 की 0.253 है0, 11 की 0.253 है0, 12/1 की 0.063 है0, 19/1 की 0.063 है0, 20 की 0.253 है0, 21/2 की 0.1860 है0, 22/1 की 0.0460 है0 कुल खता योग 1.496 है0 बरानी मय खाला आवेदक नारायणराम की खातेदारी कृषि भूमि है, जिसमें नंदीशाला बनाई जाना प्रस्तावित है। प्रतिवादीगण के खाता संख्या 62/40 में पत्थर नंबर 154/293 मुरब्बा नंबर 73 के किला नंबर 2/2 में 0.170 है0, 2/4 में 0.020 है0 खाला, 3/1 की 0.025 है0 खाला, 3/3 की 0.101 है0 खाला, 8/2 की 0.126 है0, 9/2 की 0.190 है0, 12/2 की 0.190 है0, 13/1 की 0.126 है0, 18/2 की 0.126 है0, 19/2 की 0.190 है0, 20/2 की 0.140 है0, 23/3 की 0.092 है0 कुल खाता योग 1.496 है0 बरानी मय खाला में अनावेदक अमीलाल का 1/6 हिस्सा वा अनावेदक देवीलाल का 5/6 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि है। नकल जमाबंदी संलग्न है। खाता संख्या 8/99 में पत्थर नंबर 154/293 मुरब्बा नंबर 73 के किला नंबर 3/2 में 0.127 है0, 4/1 में 0.228 है0, 4/2 की 0.025 है0 खाला, 5/1 की 0.228 है0, 5/2 की 0.025 है0 खाला कुल खाता योग 0.633 है0 बरानी मय खाला में अनावेदकगण कमलादेवी, विजय कुमार व हनुमानप्रसाद प्रत्येक



का 1/3-1 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि है। इसी मुरब्बा नं० 73 के किला नंबर 5,6,1516,25 में स्वीकृतशुदा चालू रास्ता से आवेदक की धृति व उसमें प्रस्तावित नंदीशाला तक आवागमन के लिये अनावेदकगण कमलादेवी, विजयकुमार, व हनुमान प्रसाद के इसी मुरब्बा नं० 73 के किला नं० 5/1 की 0.228 है० में से 0.0310 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (148.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा), किला नं० 4/1 की 0.228 है० में से 0.0345 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (165 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) व किला नं० 3/2 की 0.127 है० में से 0.0172 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) 0.0827 है० वा उससे आगे अनावेदकगण अमीलाल व देवीलाल के इसी मुरब्बा नं० 73 के किला नंबर 3/3 की 0.101 है० में से 0.0172 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) वा किला नं० 2/2 की 0.170 है० में से 0.0258 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (123.75 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) 0.0430 है० है। इस प्रकार अनावेदकगण की धृति में कुल 0.1257 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता रास्ता अतः आवश्यक व सरल, सुगम व सुविधाजनक होने व अन्य कोई विकल्प न होने से प्रस्तावित रास्ता आवेदक स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिये यह आवेदन पेश कर रहा है।

अतः आवेदन मय हल्फनामां पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर उसकी जोत, जिसमें नंदीशाला प्रस्तावित है, में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदकगण कमलादेवी, विजयकुमार व हनुमानप्रसाद की धृति वाके चक 9 एम. के. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नंबर 154/293 मुरब्बा नंबर 73 के किला नं० 5/1 की 0.228 है० में से 0.0310 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (148.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा), किला नं० 4/1 की 0.228 है० में से 0.0345 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (165 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) व किला नं० 3/2 की 0.127 है० में से 0.0172 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) 0.0827 है० वा उससे आगे अनावेदकगण अमीलाल व देवीलाल के इसी मुरब्बा नं० 73 के किला नं० 3/3 की 0.101 है० में से 0.0172 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) वा किला नं० 2/2 की 0.170 है० में से 0.0258 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (123.75 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) 0.0430 है०, इस प्रकार अनावेदकगण की धृति में कुल 0.1257 है० उत्तरी पासा खाला के साथ-साथ रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की तरफ से श्री अमित बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुये अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ता वाके चक 9 एम के तहसील रायसिंहनगर के प.न. 154/293 मु.न. 73 के कि.न. 5/1 के 0.228 में से 0.310 है। उत्तरी पासा खाला से चिपता (148.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा), कि.न. 4/1 की 0.228 है। में से 0.0345 है। उत्तरी पासा खाला से चिपता (165 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) व कि.न. 3/2 की 0.127 है। में से 0.0172 है। उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) कुल 0.0827 है। वा उससे आगे मिन अनावेदकगण अमीलाल व देवीलाल के इसी मु.न. 73 के कि.न. 3/3 की 0.101 है। में से 0.0172 है० उत्तरी पासा खाला से चिपता (82.5 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) व कि.न. 2/2 की 0.170 है। में से 0.0258 है। उत्तरी पासा खाला से चिपता (123.75 फुट लम्बा 22.5 फुट चौड़ा) कुल 0.0430 है।, इस प्रकार मिन अनावेदकगण की धृति में कुल 0.1257 है० उत्तरी पासा खाला के साथ-साथ रास्ता प्रस्तावित रास्ता बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत में

मिन अनावेदक को कोई एतराज नहीं होगा ना ही भविष्य में मिन अनावेदक व उसके वारिसान कोई उजर एतराज या क्लेम करेगें।


तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1607 दिनांक 29.10.2025 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता चक 9 एम के का मु.न. 72 में स्वीकृत रास्ता से प.न. 154/293 के मु.न. 73 के कि.नं. 2/2/0.026, 3/2/0.017, 3/3/0.017, 4/1/0.034, 5/1/0.031 उत्तरी पासा में कुल 0.125 है0 प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने की अभिशंषा की है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने धृति व उसमें प्रस्तावित नंदीशाला तक आवागमन के लिये अनावेदकगण की भूमि में से आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए अनावेदकगण ने अपने जबाव प्रा.पत्र में बिना प्रतिफल प्राप्त किये हुये प्रस्तावित रास्ता स्वीकृति हेतु सहमत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


उभयपक्ष पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा दिनांक 29.10.2025 एवं अनावेदकगण की सहमति के आधार पर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तावित रास्ता वाके चक 9 एम के का मु.न. 72 में स्वीकृत रास्ता से प.न. 154/293 के मु.न. 73 के कि.न. 2/2/0.026, 3/2/0.017, 3/3/0.017, 4/1/0.034, 5/1/0.031 उत्तरी पासा में कुल 0.125 है0 रकबा में स्वीकृत बिना प्रतिफल प्राप्त किये हुये स्वीकृत किये जाने की सहमति के अनुसार पर प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

—:आदेश:—

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाकर वाके चक 9 एम. के. का मु.नं. 72 में स्वीकृत रास्ता से प.नं. 154/293 के मु.नं. 73 के कि.नं. 2/2/0.026, 3/2/0.017, 3/3/0.017, 4/1/0.034, 5/1/0.031 उत्तरी पासा में कुल 0.125 है0 रकबा में स्वीकृत बिना प्रतिफल प्राप्त किये हुये एवं सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल -दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकांश रायसिंहनगर
जिला रायसिंहनगर, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकांश रायसिंहनगर
जिला रायसिंहनगर, राजस्थान

